प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः SPMU/EMTS/Supp. Sup./Muzaffarnagar/2019-20/ 1546 दिनांकः 20.5.2019

विषयः दिनांक 29 अप्रैल से 03 मई 2019 तक राज्य स्तर की टीम द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. /एन.एच.एम./एम. एण्ड ई./2018–19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों के भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 03 मई 2019 तक जनपद मुजफ्फरनगर का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/EMTS/Supp. Sup./Muzaffarnagar/2019-20/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
4. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., मुजफ्फरनगर।

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः SPMU/EMTS/Supp. Sup./Muzaffarnagar/2019-20/ दिनांकः 20.5.2019

विषयः दिनांक 29 अप्रैल से 03 मई 2019 तक राज्य स्तर की टीम द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. /एन.एच.एम./एम. एण्ड ई./2018–19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों के भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 03 मई 2019 तक जनपद मुजफ्फरनगर का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

1546-7

पत्रांकः SPMU/EMTS/Supp. Sup./Muzaffarnagar/2019-20/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
4. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., मुजफ्फरनगर।

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

जनपद मुजफ्फरनगर की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट
दिनांक : 29 अप्रैल–03 मई 2019

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 से दो सदस्यीय भ्रमण टीम श्री पराग वराडपांडे, महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस, एवं श्री दिनेश पाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर की स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 29 अप्रैल–03 मई 2019 तक किया गया है। बिन्दुवार आख्या निम्नवत है–

समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चरथावल–

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	जे.एस.एस.के के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे भोजन वितरण सम्बन्धी अभिलेख अद्यतन नहीं थे।	भोजन वितरण सम्बन्धी अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक 15 दिन
2	ब्लाक सी.एच.सी. के अन्तर्गत 28 उपकेन्द्रों में से 11 उपकेन्द्रों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2018–19 में अनटाइड ग्रान्ट फण्ड का व्यय शून्य पाया गया।	शून्य व्यय वाले उपकेन्द्रों में अनटाइड ग्रान्ट फण्ड व्यय हेतु कार्ययोजना तैयार कराने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक
3	ब्लाक सी.एच.सी. के अन्तर्गत 54 ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों में से 36 वी.एच.एस.एन.सी. में वर्ष 2018–19 में अनटाइड ग्रान्ट फण्ड का व्यय शून्य पाया गया।	शून्य व्यय वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों में अनटाइड ग्रान्ट फण्ड व्यय हेतु कार्ययोजना तैयार कराने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक
4	सी.एस.सी. में आरसीएच (एमसीटीएस) में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।	माहवार लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण कराने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक 15 दिन
5	102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा के रिकार्ड निर्धारित प्रारूप में अद्यतन नहीं थे।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रुप से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक 15 दिन
6	अस्पताल परिसर में 108 ई.एम.टी.एस. की एम्बुलेंस संख्या यू.पी. 41 जी 0519 का अवलोकन किया गया। पायलट– श्री अजय कुमार ई.एम.टी.– श्री विपिन कुमार यादव निम्न कमियां पाई गई– • एम्बुलेंस अत्यन्त गन्दी थी। • पायलट को एम्बुलेंस वाहन के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। • दोनों आक्सीजन सिलिंडर में आक्सीजन नहीं थी एवं पोर्टेबल आक्सीजन इक्विपमेंट खराब थे। जबकि रजिस्टर में	सेवाप्रदाता के जनपद प्रतिनिधि को अवगत कराया गया एवं एम्बुलेंस के समस्त उपकरण एक सप्ताह में क्रियाशील कराने हेतु निर्देशित किया गया।	जनपद प्रतिनिधि जी.वी.के.– ई.एम. आर.आई. एवं ए. सी.एम.ओ. (नोडल एम्बुलेंस)

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
	सही दर्शाये जा रहे थे। • प्रोटेक्टिव मास्क, ह्यूमीडिफायर, टूलकिट, जैक व जैक राड तथा टार्च नहीं थे। • फॉयर इस्टिंगविशर क्रियाशील नहीं थे। • ए.सी. खराब पाया गया। अवगत कराया गया कि गैस नहीं है। • ऑरिफेरिंगल एयरवे, नासफेरिंगल एयरवे, स्पाइनल इम्मोबलाइजेशन डिवाइसेज– स्पाइन बोर्ड, स्पाइनल डिजिटल इम्मोबलाइजेशन डिवाइसेज– सरवाइकल कालर, थर्मामीटर, बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट, मोबाइल फोन, चार्जर, सी कालर आदि नहीं थे जबकि विगत कई माह से रजिस्टर में सब ठीक दर्शाये जा रहे हैं। • फर्स्ट एड बाक्स अत्यन्त गन्दा था एवं उसमें दवायें नहीं थीं। • स्ट्रेचर टूटा पाया गया। • अटैन्डेंस रजिस्टर एवं इक्विपमेंट रजिस्टर अपूर्ण पाये गये। • पायलट एवं ई0एम0टी0 के पास एप्रिन एवं रेफलेक्टिव गारमेंट नहीं पाये गये। 102 एन.ए.एस. की एम्बुलेंस संख्या यू.पी. 41 जी 2275 का अवलोकन किया गया। पायलट– श्री विनीत कुमार ई.एम.टी.– श्री हितेश कुमार निम्न कमियां पाई गई– • एम्बुलेंस अत्यन्त गन्दी थी। • पायलट को एम्बुलेंस वाहन के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। • दोनों आक्सीजन सिलिंडर में आक्सीजन नहीं थी। पोर्टेबल आक्सीजन इक्विपमेंट खराब पाये गये। जबकि रजिस्टर में सही दर्शाये जा रहे थे। • फॉयर इस्टिंगविशर एवं एल.सी.डी. खराब थी। • ए.सी. खराब पाया गया। अवगत कराया गया कि गैस नहीं है। • **प्रोटेक्टिव मास्क, नासोफेरिंगल एयरवे, ऑरिफेरिंगल एयरवे, डिजिटल थर्मामीटर, बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट पेडियाट्रिक एवं एडल्ट, सक्सन डिवाइस, स्टेथोस्कोप, आदि नहीं थे जबकि विगत कई माह से रजिस्टर में सब ठीक**		

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
	दर्शाये जा रहे हैं। • फर्स्ट एड बाक्स अत्यन्त गन्दा था एवं उसमें दवायें नहीं थीं। • स्ट्रेचर टूटा पाया गया। • अटैन्डेंस रजिस्टर एवं इक्विपमेंट रजिस्टर अपूर्ण पाये गये। • पायलट एवं ई0एम0टी0 के पास एप्रिन एवं रेफलेक्टिव गारमेंट नहीं पाये गये। 102 एन.ए.एस. की एम्बुलेंस संख्या यू.पी. 12 एजी 0377 का अवलोकन किया गया। पायलट– श्री संदीप कुमार ई.एम.टी.– श्री रमेश चन्द्र निम्न कमियां पाई गई– • एम्बुलेंस अत्यन्त गन्दी थी। • पायलट को एम्बुलेंस वाहन के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। • दोनों आक्सीजन सिलिंडर में आक्सीजन नहीं थी एवं पोर्टेबल आक्सीजन इक्विपमेंट खराब पाये गये। जबकि रजिस्टर में सही दर्शाये जा रहे थे। • हूटर खराब पाया गया। • वायरिंग खराब थी, तार लटक रहे थे एवं बोर्ड व स्विच टूटे थे। • ह्यूमीडिफायर, टूलकिट एवं जैक व जैक राड, ह्वील स्पानर तथा टार्च नहीं थे। • फॉयर इस्टिंगविशर खराब था। • प्रोटेक्टिव मास्क, नासोफेरिंगल एयरवे, ऑरिफेरिंगल एयरवे, डिजिटल थर्मामीटर, बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट पेडियाट्रिक एवं एडल्ट, सक्सन डिवाइस, स्टेथोस्कोप, आदि नहीं थे जबकि विगत कई माह से रजिस्टर में सब ठीक दर्शाये जा रहे हैं। • फर्स्ट एड बाक्स अत्यन्त गन्दा था एवं उसमें दवायें नहीं थीं। • स्ट्रेचर टूटा पाया गया। अवगत कराया गया कि विगत एक वर्ष से ईंट लगाकर काम चलाया जा रहा है। • अटैन्डेंस रजिस्टर एवं इक्विपमेंट रजिस्टर अपूर्ण पाये गये। • पायलट एवं ई0एम0टी0 के पास एप्रिन एवं रेफलेक्टिव गारमेंट नहीं पाये गये।		
7	रोगी कल्याण समिति के बैठक एवं व्यय सम्बन्धी अभिलेख अवलोनक हेतु मांगे जाने	अभिलेख अद्यतन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
	पर प्रस्तुत नहीं किए गये।		15 दिन

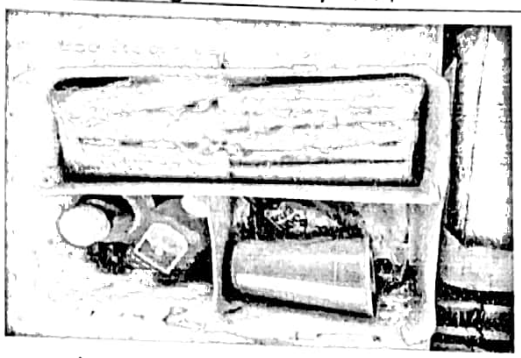

102 एम्बुलेंस में गन्दा व अव्यवस्थित फर्स्ट एड बाक्स

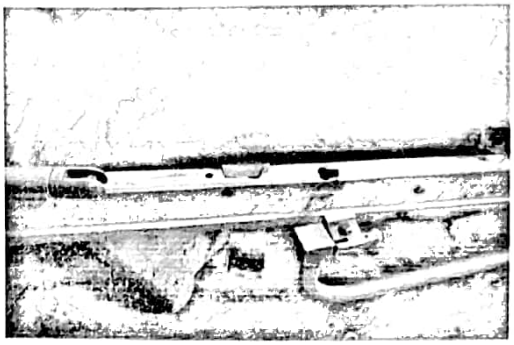

102 एम्बुलेंस में टूटा स्ट्रेचर

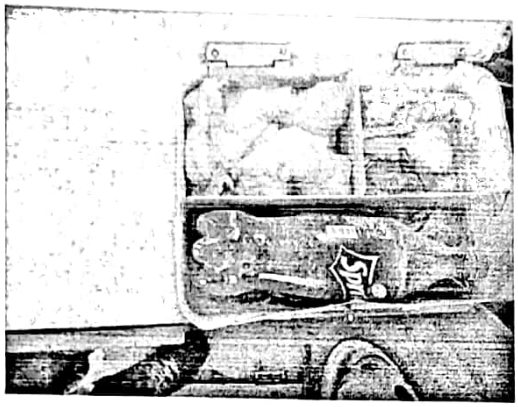

108 एम्बुलेंस में गन्दा व अव्यवस्थित फर्स्ट एड बाक्स

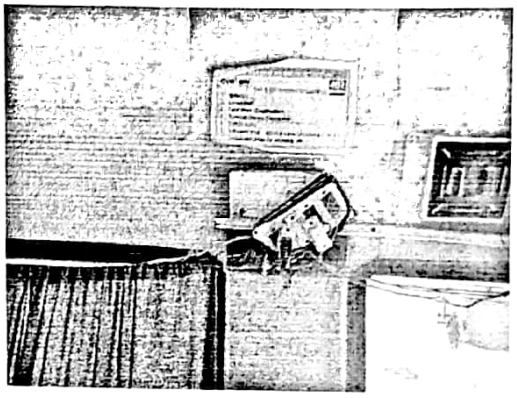

102 एम्बुलेंस में अव्यवस्थित वायर, स्विच एवं बोर्ड

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बघरा–

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	जे.एस.एस.के के अन्तर्गत लाभार्थियों को भोजन नहीं प्रदान किया जा रहा था।	भोजन उपलब्ध कराये जाने एवं वितरण सम्बन्धी अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।	बी.एम.एम., डी.पी.एम. एवं एम.ओ.आई.सी.
2	ब्लाक सी.एच.सी. के अन्तर्गत 33 उपकेन्द्रों में से 16 उपकेन्द्रों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2018–19 में अनटाइड ग्रान्ट फण्ड का व्यय शून्य पाया गया।	शून्य व्यय वाले उपकेन्द्रों में अनटाइड ग्रान्ट फण्ड व्यय हेतु कार्ययोजना तैयार कराने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक
3	ब्लाक सी.एच.सी. के अन्तर्गत 46 ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों में से 19 वी.एच.एस.एन.सी. में वर्ष 2018–19 में अनटाइड ग्रान्ट फण्ड का व्यय शून्य पाया गया।	शून्य व्यय वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों में अनटाइड ग्रान्ट फण्ड व्यय हेतु कार्ययोजना तैयार कराने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक
4	ब्लाक पी.एस.सी. में आरसीएच (एमसीटीएस) में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।	माहवार लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण कराने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक 15 दिन
5	102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा के रिकार्ड निर्धारित प्रारूप में अद्यतन नहीं थे।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिस्प्लाय समस्त	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक 15 दिन

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
		एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रुप से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	
6	रोगी कल्याण समिति के बैठक एवं व्यय सम्बन्धी अभिलेख अवलोनक हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किए गये।	अभिलेख अद्यतन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	बी.पी.एम. एवं अधीक्षक 15 दिन

नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट (एन.एम.एम.यू.)–

- मोबाइल मेडिकल यूनिट संख्या **यू.पी. 32 एलएन 6294** का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।
- एम.एम.यू. अपनी निर्धारित जनपदीय कार्ययोजना के अनुसार **ब्लाक चरथावल के ग्राम सिकन्दरपुर** में समुदाय को सेवाएं प्रदान करती पाई गयी।
- चिकित्सक, फार्मासिस्ट, एल.टी. एवं स्टाफ नर्स उपस्थित थे।
- रेफ्रीजरेटर क्रियाशील नहीं था।
- सेन्ट्रीफ्यूज क्रियाशील नहीं पाया गया जिससे मरीजों की निर्धारित जांच किये जाने का कार्य प्रभावित हो रहा था।
- निर्धारित दवायें उपलब्ध थीं किन्तु एम.एम.यू. टीम द्वारा अवगत कराया गया कि स्किन लोशन एवं कैल्सियल सचेट की मांग के सापेक्ष आपूर्ति कम हो पा रही है।
- मरीजों का पंजीकरण एवं चिकित्सक के परामर्श से दवायें वितरित की जा रही थीं।

एम.एम.यू. स्टाफ से जानकारी लेते जी.एम.–ई.एम.टी.एस.

एम.एम.यू. में सेवा लेने हेतु उपस्थित ग्रामवासी

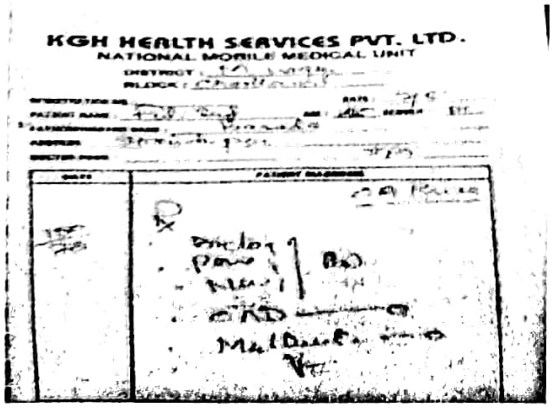

के.जी.एच. के गलत नाम से प्रयोग में लायी जा रही स्लिप

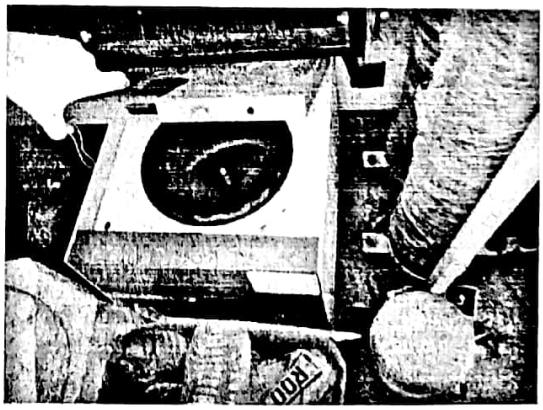

अक्रियाशील सेन्ट्रीफ्यूज

वी.एच.एन.डी. सत्र

ब्लाक बघरा के नसीरपुर उपकेन्द्र भवन में आयोजित हो रहे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का अनुश्रवण किया गया। मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं–

- ए0एन0एम0 श्रीमती अमिता शर्मा द्वारा आशा श्रीमती चमन एवं आंगनबाडी श्रीमती विभा के साथ सत्र का आयोजन किया जा रहा था।
- उपकेन्द्र भवन अत्यन्त गन्दा था। उपकेन्द्र परिसर में ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण कर गोबर के उपले एवं अन्य सामान रखे जा रहे थे।
- उपकेन्द्र के रख–रखाव हेतु अन्टाइड फण्ड का व्यय नहीं किया जा रहा था। ए0एन0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि वह संविदा पर कार्यरत हैं जिससे अनटाइड फण्ड का खाते में हस्ताक्षरी नहीं हैं एवं धनराशि का व्यय नहीं हो रहा है। उपकेन्द्र सफाई एवं मरम्मत हेतु अनटाइड फण्ड के व्यय का सुझाव दिया गया।
- सत्र स्थल पर बैनर लगा हुआ था।
- सत्र स्थल पर एम.सी.टी.एस. जेनरेटेड वर्क प्लान उपलब्ध नहीं था।
- ग्रोथ मानिटरिंग नहीं की जा रही थी।
- सत्र स्थल में उपस्थित डी.सी.पी.एम. एवं बी.सी.पी.एम. को समस्त बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैठक रजिस्टर एवं बैंक पासबुक आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी।

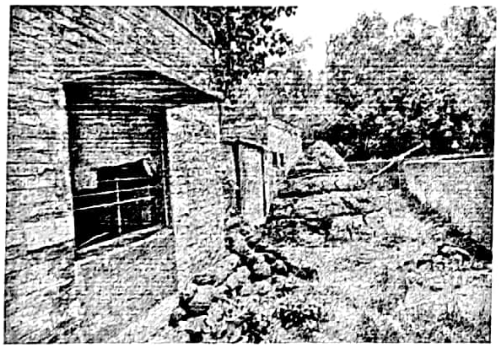

उपकेन्द्र परिसर में ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण कर फैलायी गयी गन्दगी

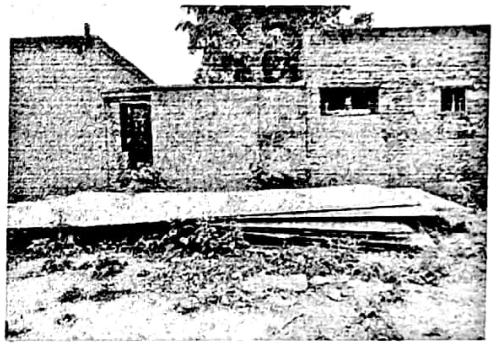

रखरखाव के अभाव में गन्दा उपकेन्द्र भवन

वी.एच.एन.डी. सत्र में उपस्थित ए.एन.एम., आशा, आंगनवाड़ी एवं आशा संगिनी

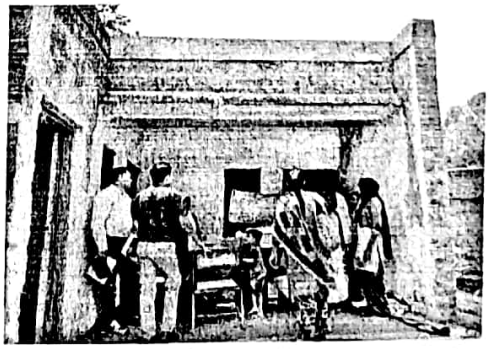

वी.एच.एन.डी. सत्र में जानकारी लेते हुए भ्रमण टीम सदस्य

जूनियर हाई स्कूल, सिकन्दरपुर, ब्लाक– चरथावल

- **प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक श्री प्रदीप कुमार एवं श्री सतीश कुमार कार्यालय सहायक उपस्थित थे।**

- आयरन का वितरण नियमित था। सम्बंधित अभिलेख फरवरी से अबतक अद्यतन नहीं थे। रिकार्ड अपडेट किए जाने का सुझाव दिया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी के जनपद से बाहर होने के कारण डी.सी.पी.एम./प्रभारी डी.पी.एम. एवं अन्य डी.पी.एम.यू. कर्मियों के साथ चर्चा की गयी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपद में एन.एच.एम. बजट के व्यय की स्थिति सन्तोषजनक पाई गयी। भ्रमण के दौरान निकल कर आये उक्त समस्त बिन्दुओं पर फीडबैक देकर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया।

(दिनेश पाल सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.

(पराग वराडपांडे)
महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.,
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.